अभियन्ता को स्नाकोत्तर वेतन उसी तिथि से स्वीकृत किया जाता रहेगा जिस दिनांक को उन्हें स्नाकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा प्राप्त होंगे। ऐसे विषयों में जहां स्नाकोत्तर वेतन परीक्षाफल घोषित होने के दिनांक से अधिकृत किया जाता है, उनमें भी 15 नवम्बर, 1976 के पश्चात वह डिग्री/डिप्लोमा के प्राप्त होने के दिनांक से ही अधिकृत किया जायेगा।

Special Pay Sanctioned to Junior Engineers who have acquired an Engineer degree or A.M.I.E.

No. 1399-WB/SEB(IR-II)-XII-18Wage Cell/79 Dt. May 22, 1979

To encourage the Jr. Engineers to improve and update their technical knowledge thereby enabling them in discharge their duties with more efficiency and expertise, the Board are pleased to sanction payment of an amount of Rs. 50/-p.m. as special pay to such Jr. Engineers who acquire an engineering degree, in the field of Electrical, Mechnical, Electronics and Civil Engineering recognized by State Govt./Board or who successfully complete Section A & B of Associate Membership of Institution of Engineers (India) during their service in the Board. The special pay shall be regulated strictly according to the same terms and conditions as applicable for higher technical qualifications to Engineering services of the Board. These orders for special pay are effective w.e.f. 1.4.79.

The amount of special pay of Rs. 50/- will cease to be paid as soon as a particular Jr. Engineer drawing special pay is promoted and takes over the charge of an Asstt. Engineer.

Grant of special Pay to Accountants (Revenue)

No. 4852-G/CAO-VI-156A/77 Dated 4.8.1979

The question of grant of special pay to Accountants (Revenue) has been under the consideration of the Board for sometime past. After careful consideration of the case Board have been pleased to accord sanction for payment of special pay @ Rs. 50/- p m. w.e.f. 1.7.79 to the Accountants (Revenue) attached to various Divisions.

The charges on account of the above will be debited to the head "Establishment Charges" in the Board's budget.

... Power Corporation Ltd.
(A Govt. of Uttarakhand Undertaking)
Urja Bhawan, Kanwali,
Dehradun - 248001
Phone . 91-135-2763672-75 FAX. 91-135-2769771

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०
(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)
ऊर्जा भवन, कांवली
देहरादून – 248001
दूरभाष : 2763672–75, फैक्स 91–135–2769771

संख्याः —निदे०(मा०सं०)/उपाकालि/उ०म०प्र(औ०सं०एवंका०प्र०) दिनांक 28 —10—2013

कार्यालय ज्ञाप

एतदद्वारा शासनादेश संख्या–1015/1/2013–05/90/TC/2008 दिनांक 14.06.2013 द्वारा निर्गत आदेशों, ऊर्जा के तीनों निगमों के प्रबन्ध निदेशकों के मध्य दिनांक 14.06.2013 को हुये विचार विमर्श के उपरान्त विभिन्न भत्तों को पुनरीक्षित करने हेतु बनी सहमति एवं निदेशक मण्डल की दिनांक 05.09.2013 को आहूत 62वीं बैठक में एजेन्डा संख्या– 62.06 में लिये गये निर्णय के अनुपालन में पूर्ववर्ती उ०प्र०राज्य विद्युत परिषद के आदेश संख्या–1399 दिनांक 22–5–1979, परिषदादेश संख्या 12–काविनी/राविप–29/96–10 दिनांक 10–1–1996 में निहित प्राविधानों के अनुरूप कारपोरेशन में कार्यरत पात्र अवर अभियन्ताओं को एतदद्वारा दिनांक 01.08.2013 से ए०एम०आई० वेतन निम्नवत संशोधित दर पर अनुमन्य किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है–

क्र०सं०	भत्ते का नाम	भत्ते की दर प्रतिमाह
1	2	3
1.	ए०एम०आई० वेतन	रू0 135/–

आदेश संख्या–1399 दिनांक 22–5–1979, परिषदादेश संख्या 12–काविनी/राविप–29/96–10 दिनांक 10–1–1996 में निहित अन्य शर्ते एवं प्रतिबन्ध यथावत् प्रभावी रहेंगे।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से

संख्या 10192 —नि०(मा०सं०)/उपाकालि/उ०म०प्र(औ०सं०एवंका०प्र०), तद्दिनांकित,

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव (ऊर्जा) एवं अध्यक्ष, उ०पा०का०लि०, सचिवालय, देहरादून।
2. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, उ०पा०का०लि०, ऊर्जा भवन, देहरादून।
3. निजी सचिव, समस्त निदेशक, उ०पा०का०लि०, ऊर्जा भवन, देहरादून।
4. समस्त मुख्य अभियन्ता(स्तर–1)/मुख्य अभियन्ता(स्तर–2)/अधीक्षण अभियन्ता,उ०पा०का०लि०।
5. कम्पनी सचिव एवं उप महाप्रबन्धक (विधि), उ०पा०का०लि०, देहरादून।
6. महाप्रबन्धक (वित्त) उ०पा०का०लि० ऊर्जा भवन, देहरादून।
7. उप महाप्रबन्धक (वित्त)के०ले०का०/वितरण/आन्तरिक सम्प्रेक्षा, उ०पा०का०लि०.
8. अधिशासी अभियन्ता (सूचना प्रोद्यौगिकी), उ०पा०का०लि०, ऊर्जा भवन, देहरादून।
9. समस्त अधिशासी अभियन्ता, उ०पा०का०लि०.
10. समस्त अधिकारी एवं अनुभाग, उ०पा०का०लि०, ऊर्जा भवन, देहरादून।
11. कार्यालय ज्ञापन पंजिका/गार्ड फाईल।

29/10/13
(के०बी०चौबे)
उपमहाप्रबन्धक (औ०सं० एवं का०प्र०)

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद्

11, अशोक मार्ग, लखनऊ।

संख्या–1313–ए/ रा०वि०प० (ख)–600/1960

मुख्य अभियन्ता, दिनांक 4 फरवरी, 1972।

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद,

लखनऊ।

महाप्रबन्धक,

कानपुर विद्युत सम्पूर्ति प्रशासन,

केसा हाउस, कानपुर।

विषय :—बाह्य पदों के लिए परिषदीय अभियन्ता अधिकारियों/अधिकारिकों के आवेदन–पत्रों का निस्तारण।

महोदय,

परिषदाज्ञा संख्या–6008–ए/ रा०वि०प० (ख)–600/60, दिनांक 10 अगस्त, 1971 के आशोधन में मुझे निवेदन करने का निदेश हुआ है कि बाह्य पदों के लिए अभियन्ता अधिकारियों/अधिकारिकों के आवेदन-पत्रों का निस्तारण अब निम्नलिखित नियमों के अनुसार किया जायगा।

(अ) स्थाई कर्मचारियों के आवेदन—पत्रों का निस्तारण

1. (क) किसी भी स्थायी कर्मचारी के सम्पूर्ण सेवा–काल में बाहरी पदों के लिए छः (6) से अधिक आवेदन–पत्र अग्रसारित नहीं किए जायेंगे। 1 जनवरी, 1970 के पूर्व अग्रसारित आवेदन–पत्रों की गणना इस सम्बन्ध में नही की जायगी।

(ख) गैर–सरकारी क्षेत्र में किसी पद के लिए आवेदन-पत्र अग्रसारित नहीं किया जाएगा।

(ग) उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापित पदों के लिए कोई प्रतिबन्ध नहीं है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अतिरिक्त अन्य संस्थाओं द्वारा विज्ञापित पदों को बाहरी पदों की श्रेणी में समझा जायगा, उदाहरणार्थ संघ लोक सेवा आयोग, अन्य प्रदेशों के आयोग, सरकारी क्षेत्र के निगमों आदि द्वारा विज्ञापित पद।

2. यदि आवेदनकर्ता स्थायी राजपत्रित कर्मचारी है तो उसे आवेदन-पत्र देने की सुविधा अप्राविधिक तथा प्राविधिक सेवा-पद के लिए निम्नांकित आयु सीमा तक उपलब्ध रहेगा :—

अप्राविधिक सेवापद के लिए————— 40 वर्ष तक।

प्राविधिक सेवापद के लिए ——— ——— 45 वर्ष तक।

अनुसूचित जाति के कर्मचारियों के लिए आयु सीमा 5 वर्ष अधिक रहेगी। यदि किसी बाहरी सेवापद के लिए संघ लोक सेवा आयोग आदि द्वारा जारी किये गये विज्ञापन में

आयु-सीमा 40–15 वर्ष से अधिक निर्धारित हो तो उसके लिए दिये गये आवेदन-पत्रों के गुणावगुण पर विचार कर आयु-सीमा के प्रतिबन्ध मे छूट दी जा सकेगी।

3. उपरोक्त आदेश केवल उन्हीं कर्मचारियों पर लागू होंगे जो अपने पदों पर स्थायी हैं। यदि किसी स्थायी अराजपत्रित कर्मचारी की किसी राजपत्रित पद पर अस्थायी नियुक्ति हो तो उसे इस आदेश के प्रयोजन के लिए अराजपत्रित ही माना जायगा और उपरोक्त पैरा (2) के आदेश उस पर लागू नहीं होंगे।

4. परिषद् लोक हित में किसी कर्मचारी के आवेदन-पत्र को अपने विवेकानुसार रोक सकता है।

(ब) अस्थायी कर्मचारियों के आवेदन-पत्रों का निस्तारण

1. साधारणतया अस्थायी कर्मचारियों के आवेदन-पत्र बाहरी सेवा के लिए अग्रसारित किए जायेंगे। अग्रसारित करते समय इस बात को स्पष्ट कर देना चाहिए कि कर्मचारी परिषद में अस्थायी पद पर नियुक्त है और पद का वर्णन व वेतन-क्रम को भी स्पष्ट कर देना चाहिए।

2. यदि उक्त कर्मचारी उक्त पद के लिए चुन लिया जाता है और परिषद् की सेवाओं को छोड़कर बाहरी सेवा में वह जाना चाहता है तो उसको लिखित प्रार्थना पर उसे सेवाओं से मुक्त किया जायेगा। परन्तु यदि कोई Indemnity Bond उन पर लागू है तो उसकी शर्तें लागू रहेंगी।

3. ऐसे मुक्त किये गये कर्मचारियों को भविष्य में किसी भी समय उस पद पर वापिस लेने का कोई प्रश्न नहीं होगा जिस पद पर मुक्ति से पूर्व वह नियुक्त था।

4. गैर-सरकारी क्षेत्र में किसी पद के लिये किसी स्थायी कर्मचारी का आवेदन-पत्र अग्रसारित नहीं किया जायगा। केवल अस्थायी कर्मचारियों का ही अग्रसारित किया जायगा।

भवदीय,
राधेश्याम अग्रवाल
उप-सचिव।

संख्या—1313-ए/(1) /रा०वि०प० (ब)—60/1960, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. मुख्य लेखाधिकारी, उ० प्र० राज्य विद्युत् परिषद्, लखनऊ।
2. मुख्य अभियन्ता (अनुरक्षण एवं वाणिज्य), उ० प्र० राज्य विद्युत् परिषद्, लखनऊ।
3. उपमुख्य अभियन्ता, ओबरा।
4. उपमुख्य अभियन्ता, हरदुआगंज।
5. समस्त अधीक्षण अभियन्ता।
6. समस्त अधिशासी अभियन्ता।

आज्ञा से,
राधेश्याम अग्रवाल
उप-सचिव।

अधिकारियों एवं कर्मचारियों को कार्यालयेतर समय में अध्ययन हेत अनुमति प्रदान करना।

संख्या : 9036 जी/रा०वि०प०-एक-125ए/1978 दिनांक जनवरी 25, 1979

उपर्युक्त प्रसंग में मुझे यह कहने का निदेश है कि यद्यपि कार्यालयेतर समय में अध्ययनार्थ अनुमति प्रदान करने के लिये परिषद न तो बाध्य है और न ही अधिकारी तथा कर्मचारीगण उक्त अनुमति प्राप्त करना अपना अधिकार समझ सकते हैं तथापि समुचित विचारोपरान्त परिषद ने सहर्ष यह निर्णय किया है कि परिषदीय अधिकारियों तथा कर्मचारियों को अधोवर्णित प्रतिबन्धों के अधीन कार्यालयेतर अध्ययनार्थ तथा व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में परीक्षाओं में सम्मिलित होने हेतु अनुमति प्रदान करने पर विचार किया जाय:—

(क) उपर्युक्त अनुमति किसी कार्यालय में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को केवल एक शिक्षा सत्र में उनकी संख्या के दस प्रतिशत से अधिक अधिकारियों/कर्मचारियों को अनुमन्य नहीं होगी।

(ख) अनुमति केवल उसी दशा में प्रदान की जायेगी जबकि प्रश्नगत अनुमति/अध्ययन से परिषद के कार्य सम्पादन में किसी प्रकार का ह्रास उत्पन्न न हो तथा अधिकारी/कर्मचारी की कार्य क्षमता में न तो किसी प्रकार की शिथिलता उत्पन्न हो और न वह अपने कर्तव्य पालन की उपेक्षा ही करे।

(ग) यदि अनुमति प्रदान करने के उपरान्त ऐसा भासित हो कि जिस अधिकारी/कर्मचारी को उक्त अनुमति प्रदान की गई है उसके कार्य में शिथिलता आ गई या कार्य सम्पादन में ह्रास उत्पन्न हो गया है अथवा उक्त अनुमति देना परिषद के हित में नहीं है तो प्रदान की गई अनुमति को परिषद किसी भी समय बिना कोई पूर्व सूचना के तत्काल निरस्त कर देंगे।

(घ) अराजपत्रित कर्मचारियों को उक्त अनुमति प्रदान करने हेतु केवल "कार्यालय-प्रमुख"/"विभागाध्यक्ष" ही सक्षम अधिकारी होंगे। राजपत्रित अधिकारियों के लिये परिषद की औपचारिक स्वीकृति आवश्यक होगी।

(ङ) विषय में अनुज्ञा प्रदान करने के पूर्व सक्षम अधिकारी सम्बन्धित शिक्षा संस्थान से यह सुनिश्चित करके स्वत: को सन्तुष्ट कर लेंगे कि प्रश्नगत कक्षायें कार्यालयेतर अवधि के उपरान्त ही होंगी।

(च) उपर्युक्त अनुज्ञा प्राप्त होने के फलस्वरूप कोई भी अधिकारी/कर्मचारी मात्र इस आधार पर अपने अवकाश/तैनाती अथवा स्थानान्तरण सम्बन्ध में किसी प्रकार की विशेष सुविधा प्राप्त करने के लिये पात्र नहीं हो जायेगा।

(छ) उपर्युक्त अनुमति से सम्बन्धित परीक्षा की तैयारी के लिये अधिकारी/

कर्मचारी को किसी प्रकार का अवकाश सामान्यत: परिषदीय एवं लोकहित को दृष्टिगत करते हुए ही अनुमन्य होगा ।

(ज) किसी बहुवर्षीय पाठ्यक्रम/अध्ययन के लिये प्रतिवर्ष नवीन अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा ।

(झ) उन्नत, उच्चस्तरीय अथवा विशिष्ठ अध्ययन एवं तकनीकी विषयों के सम्बन्ध में भी उपरिवर्णित प्रतिबन्धों के अधीन ही अनुमति प्रदान की जायेगी ।

2- उपर्युक्त के अतिरिक्त मुझे यह भी अवगत कराना है कि भविष्य में कार्यालयेत्तर अध्ययन हेतु अनुमति प्रदान करने सम्बन्धी आदेशों की एक प्रति सम्बन्धित सक्षम अधिकारी द्वारा अपने नियन्त्रक अधिकारी को अवश्यमेव अग्र-सारित की जाये जिससे नियन्त्रक अधिकारी सम्बन्धित नियमों का विधिवत अनुपालन सुनिश्चित करने में समर्थ हो सके । ये आदेश निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होंगे ।

अधिकारियों एवं अधिकारियों को कार्यालयेतर समय में अध्ययनार्थ अनुमति प्रदान किया जाना ।

संख्या 2122-जी/रा० वि० प०-का-1-125ए/1978 दिनांक अगस्त 18, 1982

उपर्युक्त विषयक परिषदीय पत्रांक 9036-जी/रा० वि० प०-एक-125ए/1978, दिनांक 25 जनवरी, 1979 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का अनुदेश है कि उसमें निर्धारित प्रक्रिया के क्रियान्वयन में कतिपय व्यावहारिक कठिनाइयां अनुभव की गई है अत: इनके निवाराणार्थ यह निर्णय लिया गया है कि ।

(अ) सक्षम अधिकारी से सम्यक अनुमति प्राप्त किये बिना यदि कोई परिषदीय सेवक अध्ययनार्थ किसी शिक्षण संख्या में प्रवेश लेता है तो उसके विरुद्ध यथापेक्षित अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी ।

(ब) परिषदीय सेवक के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही के साथ-साथ ऐसे मामलों में सम्बन्धित शिक्षण संस्थाओं से अनुरोध किया जायेगा कि वे प्रश्नगत परिषदीय सेवक का प्रवेश निरस्त कर दें क्योंकि उसने परिषद के नियमानुसार अध्ययनार्थ अनुमति नही प्राप्त की है और उसके कथित अध्ययन का परिषदीय कार्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है,

(स) किसी भी परिषदीय सेवक को अध्ययनार्थ अनुमति प्रदान करते समय यह सुस्पष्ट कर दिया जाये कि अध्ययनार्थ अनुमति प्रदान किये जाने का आशय यह नहीं है कि यदि वह प्रश्नगत परीक्षा उत्तीर्ण कर लेता है तो परिषद उस सेवक को सेवा में उसका लाभ देने के लिये बाध्य होंगे ।

2—कृपया इन आदेशों से अपने अधीनस्थ समस्त अधिकारियों को अवगत